राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 34/21 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1.भानी देवी पत्नी गेमराराम जाति मेघवाल
निवासी पूंजासर तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. ढेलीदेवी पत्नी हेमाराम उर्फ हेमनराम
2. हेमनराम उर्फ हेमाराम पुत्र पुराराम जाति मेघवाल
निवासी सरूपे का तला हाल बुरहान का तला
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
3. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ।

वकील प्रार्थीगण :– श्री पवनधारीवाल

वकील विप्रार्थी सं. 1 व 2 :– श्री प्रवीण चौधरी

निर्णय

दिनांक 06.06.2022

प्रार्थीनी भानीदेवी पत्नी गेमराराम जाति मेघवाल निवासी पूंजासर तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी एक काश्तकार है। प्रार्थीनी को अपने खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा बुरहान का तला पटवार क्षेत्र बुरहान का तला तहसील धनाऊ के खसरा सं. 1206/494 रकबा 15.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीनी की जोत व ढाणियों पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण संख्या 1 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1052/... व विप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा संख्या 1053/494 रकबा 17.06 बीघा में से चलकर सड़क मार्ग तक आने हेतु के लिए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीनी की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीनी वर्षों से करती आ रही है तथा एक मात्र रास्ता हैं। काश्त के समय प्रार्थीनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:22:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

की जोत खेत खसरा संख्या 1206 / 494 रकबा 15.00 बीघा किस्म बारानी मौसम के चारों ओर के काश्तकार आपनी काश्त कर लेते जिससे प्रार्थीनी को अपनी जोत में जाने से वंचित हो जाते है एव हरबार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1052 / 494 व खसरा संख्या 1053 / 494 में से रास्ता चाहिए। जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी ने वकालातनामा पेश किया हुआ था परन्तु अनेक अवसर देने के उपरान्त भी पत्रावली वास्ते जवाब पेश नही किया अतः उनके जवाब के अवसर बंद किया जाता है। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार धनाऊ को उक्त चाहे गये रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से उक्त चाहे गये रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को मौजा बुरहान का तला के खसरा संख्या 1206 / 494 से सरकारी कटाण रास्ता / सडक तक पहुंचने के लिए ग्राम बुरहान का तला के खसरा संख्या 1052 / 494 व 1053 / 494 में से होकर गुजरना पडता है। इसके सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। ग्राम बुरहान का तला के खसरा संख्या 1052 / 494 व 1053 / 494 में से बरंग लाल रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया ।

जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीनी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देनी देवी पत्नी हेमनराम कौम मुसलमान	1052 / 494	16.06	20 फिट	0.06	बुरहान का तला		बा.
2	हेमनराम पुत्र पुराराम कौम मुसल0	1053 / 494	17.06	20 फिट	0.09	बुरहान का तला		बा.स

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:22:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीनी द्वारा वर्णित उपरोक्त 1206/494 रकबा 15.00 बीघा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीनी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीनी को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीनी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीनी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।

सहायक कलक्टर सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:22:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का निश्चित किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में 'रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

5. प्रार्थीनी को उक्त 20 फीट चौडे रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20.00 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने एवं क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार विप्रार्थीगण को देने का आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को इस न्यायालय से आदेश दिया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:22:30 IST
Reason: SelfAttested